



भारतीय संसद  
राज्य सभा

# प्रश्नों के संबंध में सांख्यिकीय सूचना

243वां  
सत्र

17 जुलाई, 2017 से 11 अगस्त, 2017 तक



राज्य सभा सचिवालय  
नई दिल्ली

इस प्रकाशन का अंग्रेजी संस्करण भी उपलब्ध है।



सत्यमेव जयते

भारतीय संसद  
राज्य सभा

प्रश्नों के संबंध में  
सांख्यिकीय सूचना

243वां  
सत्र

17 जुलाई, 2017 से 11 अगस्त, 2017 तक



राज्य सभा सचिवालय  
नई दिल्ली

**वेबसाईट : <http://rajyasabha.nic.in>**

**ई-मेल : [rsqns@sansad.nic.in](mailto:rsqns@sansad.nic.in)**

## प्रस्तावना

इस पुस्तिका में राज्य सभा के दो सौ तैंतालीसवें सत्र के दौरान प्राप्त हुई प्रश्नों की सूचनाओं और उनके निपटारे से संबंधित सांख्यिकीय सूचना दी गई है। इसमें ग्यारह विवरण हैं, जिनमें सत्र के दौरान निपटाए गए प्रश्नों से संबंधित आंकड़ों से संकलित की गई विभिन्न प्रकार की सूचना दी गई है। विवरण संख्या-X में कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो एक नज़र में प्रश्नों से संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण बातों को दर्शाते हैं।

नई दिल्ली;

21 सितम्बर, 2017

30 भाद्र, 1939 (शक)

देश दीपक वर्मा,

महासचिव।

## विषय-सूची

पृष्ठ

I.	प्रत्येक समूह के अंतर्गत प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं को दर्शाने वाला विवरण.....	1
II.	प्रत्येक बैठक के लिए प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं को दर्शाने वाला विवरण.....	2
III.	तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला सार .....	3
IV.	प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) का सांख्यिकीय सार जिसमें प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में प्राप्त हुई सूचनाओं की संख्या और उनके निपटारे को दर्शाया गया है .....	4-8
V.	उन विषयों को दर्शाने वाला विवरण जिनके संबंध में यथेष्ट संख्या में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर दिए गए.....	9-10
VI.	तारांकित प्रश्नों के उत्तर में राज्य सभा के पटल पर रखे गए विवरण ..	11
VII.	अल्प-सूचना प्रश्नों के निपटारे को दर्शाने वाला सार.....	12
VIII.	प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न लोक महत्व के विषयों पर आधे घंटे की चर्चा आरंभ करने के लिए प्राप्त हुई सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण .....	13
IX.	राज्य सभा में मंत्रियों द्वारा प्रश्नों के संबंध में पहले दिए जा चुके उत्तरों के संशोधनार्थ उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों/सभा पटल पर रखे गए विवरणों का सार	14
X.	राज्य सभा में पूछे गए प्रश्नों और उनके उत्तर के संबंध में कुछ रोचक तथ्य.....	15-17
XI.	राज्य सभा में प्रश्नों के समय को सुचारु रूप से चलाने के लिए की गई टिप्पणियों/दिए गए निदेशों/विनिर्णयों को दर्शाने वाला विवरण.....	18

## विवरण-I

प्रत्येक समूह के अन्तर्गत प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं को दर्शाने वाला विवरण

### समूह I

कोयला; पेयजल और स्वच्छता; पृथ्वी विज्ञान; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन; खान; 1321  
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा; पंचायती राज; विद्युत; सड़क परिवहन और राजमार्ग; ग्रामीण विकास; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; पोत परिवहन; जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण।

### समूह II

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष); नागर 1893  
विमानन; कॉरपोरेट कार्य; रक्षा; वित्त; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; अल्पसंख्यक कार्य; युवक कार्यक्रम और खेल।

### समूह III

वाणिज्य और उद्योग; संस्कृति; भारी उद्योग और लोक उद्यम; गृह; श्रम और रोजगार; सूक्ष्म, 1726  
लघु और मध्यम उद्यम; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस; इस्पात; पर्यटन; जनजातीय कार्य।

### समूह IV

प्रधानमंत्री; परमाणु ऊर्जा; उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास;; विदेश; आवासन और शहरी कार्य; मानव 1656  
संसाधन विकास; सूचना और प्रसारण; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; योजना; कौशल विकास और उद्यमिता; सामाजिक न्याय और अधिकारिता; अंतरिक्ष; सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन; महिला एवं बाल विकास।

### समूह V

कृषि एवं किसान कल्याण; रसायन और उर्वरक; संचार; उपभोक्ता मामले, खाद्य और 1840  
सार्वजनिक वितरण; इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी; खाद्य प्रसंस्करण उद्योग; विधि और न्याय; संसदीय कार्य; रेल; वस्त्र।

योग:

8436

विवरण - II

प्रत्येक बैठक के लिए प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	बैठक की तारीख	प्राप्त तारांकित प्रश्नों की सूचनाएं	प्राप्त अतारांकित प्रश्नों की सूचनाएं	कुल प्राप्त सूचनाएं	हिन्दी में प्राप्त सूचनाएं
1	2	3	4	5	6
1.	17.07.2017	208	129	337	64
2.	18.07.2017	223	116	339	70
3.	19.07.2017	238	103	341	56
4.	20.07.2017	242	131	373	65
5.	21.07.2017	285	138	423	84
6.	24.07.2017	324	128	452	88
7.	25.07.2017	329	151	480	85
8.	26.07.2017	323	126	449	80
9.	27.07.2017	291	147	438	67
10.	28.07.2017	297	148	445	83
11.	31.07.2017	333	199	532	90
12.	01.08.2017	328	188	516	80
13.	02.08.2017	291	165	456	62
14.	03.08.2017	257	170	427	69
15.	04.08.2017	293	181	474	62
16.	08.08.2017	352	206	558	87
17.	09.08.2017	291	189	480	65
18.	10.08.2017	249	169	418	54
19.	11.08.2017	299	199	498	82
योग		5453	2983	8436	1393



### विवरण-III

#### तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला सार

प्रश्नों की श्रेणी	प्राप्त सूचनाएं	गृहीत	एक से अधिक नामों से गृहीत	पृथक की गई सूचनाएं	अस्वीकृत	व्यपगत	लौटाई गई	वापस ली गई	रद्द की गई
तारांकित	5453	285	-	38	454	2733	-	4	-
अतारांकित	2983	3040+	540++	0	297	1045	-	-	-
योग:	8436	3325	540	38	751	3778	-	4	-

+ इसमें तारांकित प्रश्नों की 1656 सूचनाएं सम्मिलित हैं जिन्हें अतारांकित प्रश्नों के रूप में गृहीत किया गया।

++ इसमें तारांकित प्रश्नों की 283 ऐसी सूचनाएं सम्मिलित हैं जिन्हें अतारांकित प्रश्नों के रूप में एक से अधिक नामों से गृहीत किया गया।

## विवरण-IV

प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) का सांख्यिकीय सार जिसमें प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संबंध में प्राप्त हुई सूचनाओं की संख्या और उनके निपटारे को दर्शाया गया है

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े, प्रश्नों की हिन्दी में प्राप्त हुई सूचनाओं की संख्या को दर्शाते हैं)

क्रम संख्या	मंत्रालय/ विभाग का नाम	प्राप्त सूचनाएं	गृहीत		एक से अधिक नामों से गृहीत	पृथक- पृथक की गई सूचनाएं	अस्वीकृत	व्यपगत	लौटाई गई/वापस ली गई/रद्द की गई	मौखिक रूप से उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न	पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या
			तारांकित	अतारांकित							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	प्रधानमंत्री	13(2)	-	-	-	-	7(0)	6(2)	-	-	-
2.	कृषि एवं किसान कल्याण	486(123)	18(5)	184(33)	33(15)	8(6)	35(7)	208(57)	-	2	10
3.	परमाणु ऊर्जा	44(5)	-	22(3)	3(0)	-	4(1)	15(1)	-	-	-
4.	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)	91(29)	2(0)	28(10)	1(0)	-	8(3)	52(16)	-	-	-
5.	रसायन और उर्वरक	150(11)	4(0)	46(6)	7(0)	-	11(1)	82(4)	-	1	5
6.	नागर विमानन	321(47)	8(0)	118(19)	18(4)	2(0)	28(7)	147(17)	-	-	-
7.	कोयला	83(11)	2(1)	29(2)	5(2)	-	5(2)	42(4)	-	-	-

G

8.	वाणिज्य और उद्योग	297(30)	6(0)	106(9)	19(6)	-	22(4)	144(11)	-	-	-
9.	संचार	150(16)	3(0)	57(11)	8(0)	-	4(0)	78(5)	-	1	5
10.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	162(21)	3(1)	58(6)	12(4)	-	15(1)	74(9)	-	-	-
11.	कारपोरेट कार्य	43(6)	2(0)	14(2)	3(0)	-	4(0)	20(4)	-	-	-
12.	संस्कृति	119(19)	10(2)	43(6)	1(0)	-	6(2)	58(8)	1(1)	1	5
13.	रक्षा	237(39)	3(0)	78(15)	18(7)	-	28(4)	110(13)	-	-	-
14.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास	13(0)	2(0)	3(0)	2(0)	-	1(0)	5(0)	-	-	-
15.	पेयजल और स्वच्छता	126(32)	8(1)	56(18)	5(1)	-	8(2)	49(10)	-	2	10
16.	पृथ्वी विज्ञान	23(3)	-	10(0)	-	-	-	13(3)	-	-	-
17.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी	145(11)	3(1)	51(3)	14(2)	-	3(0)	74(5)	-	1	1
18.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	241(42)	11(3)	87(20)	19(7)	2(2)	13(3)	108(7)	1(0)	2	8
19.	विदेश	241(20)	8(1)	75(8)	13(0)	1(0)	58(4)	86(7)	-	4	20
20.	वित्त	591(78)	20(3)	208(18)	39(10)	3(2)	40(8)	281(37)	-	-	-
21.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	38(7)	-	10(4)	-	-	-	28(3)	-	-	-
22.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	458(92)	18(6)	146(32)	25(12)	6(0)	50(6)	213(36)	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	भारी उद्योग और लोक उद्यम	61(3)	1(0)	23(2)	2(0)	1(0)	3(0)	31(1)	-	-	-
24.	गृह	484(90)	14(4)	186(37)	30(12)	-	52(12)	202(25)	-	2	10
25.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन	227(43)	5(1)	91(21)	18(5)	-	24(6)	89(10)	-	1	5
26.	मानव संसाधन विकास	455(67)	16(2)	184(26)	34(10)	3(0)	59(10)	159(19)	-	4	18
27.	सूचना और प्रसारण	86(8)	9(1)	34(3)	3(2)	2(0)	7(0)	31(2)	-	5	16
28.	श्रम और रोजगार	220(37)	5(0)	82(14)	16(7)	1(0)	8(1)	108(15)	-	1	5
29.	विधि और न्याय	152(21)	6(1)	41(5)	13(2)	-	8(2)	84(11)	-	1	5
30.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	69(9)	4(2)	20(4)	7(0)	-	7(1)	31(12)	-	-	-
31.	खान	33(8)	2(0)	12(3)	5(4)	-	-	14(1)	-	-	-
32.	अल्पसंख्यक कार्य	59(8)	2(0)	19(4)	1(0)	-	5(2)	32(2)	-	-	-
33.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	71(8)	1(0)	26(4)	2(0)	-	2(0)	40(4)	-	-	-
34.	पंचायती राज	23(6)	-	9(4)	-	-	2(0)	11(2)	1(0)	-	-
35.	संसदीय कार्य	11(0)	-	3(0)	-	-	2(0)	6(0)	-	-	-

36.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	93(16)	5(0)	37(6)	7(5)	1(0)	15(5)	28(0)	-	1	4
37.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	234(34)	8(1)	98(17)	15(5)	1(0)	18(0)	94(11)	-	1	2
38.	योजना	40(6)	-	21(3)	3(0)	-	2(0)	14(3)	-	-	-
39.	विद्युत	116(11)	4(2)	38(3)	9(0)	-	11(2)	54(4)	-	-	-
40.	रेल	468(92)	18(4)	164(41)	44(16)	4(2)	22(0)	216(29)	-	3	10
41.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	201(33)	3(1)	63(9)	10(1)	1(1)	20(3)	104(18)	-	-	-
42.	ग्रामीण विकास	165(46)	9(4)	64(13)	11(2)	-	19(7)	62(20)	-	2	10
43.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	19(3)	-	7(3)	-	-	3(0)	9(0)	-	-	-
44.	पोत परिवहन	57(5)	-	27(2)	1(0)	-	1(0)	28(3)	-	-	-
45.	कौशल विकास और उद्यमिता	123(31)	5(0)	49(12)	18(3)	-	13(6)	38(10)	-	-	-
46.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	134(36)	4(2)	50(9)	12(6)	-	24(9)	44(10)	-	2	10
47.	अंतरिक्ष	33(1)	1(0)	7(0)	2(0)	-	5(0)	18(1)	-	-	-
48.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	22(2)	-	9(0)	-	-	3(0)	10(2)	-	-	-
49.	इस्पात	60(8)	1(1)	21(5)	3(2)	-	5(0)	30(0)	-	-	-

8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.	वस्त्र	78(9)	5(0)	26(1)	3(0)	-	10(1)	34(7)	-	1	5
51.	पर्यटन	111(19)	9(3)	41(5)	4(0)	-	9(1)	48(10)	-	1	-
52.	जनजातीय कार्य	71(14)	2(0)	20(7)	1(0)	-	7(0)	41(7)	-	1	5
53.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण	163(34)	5(1)	52(14)	10(5)	-	13(2)	82(12)	1(0)	3	11
54.	महिला एवं बाल विकास	132(18)	5(1)	58(6)	7(0)	-	11(1)	51(10)	-	2	6
55.	युवक कार्यक्रम और खेल	93(23)	5(0)	29(9)	4(2)	2(0)	11(3)	42(9)	-	-	-
<b>योग</b>		8436(1393)	285(55)	3040(517)	540(159)	38(13)	751(129)	3778(519)	4(1)	46	187



## विवरण - V

**उन विषयों को दर्शाने वाला विवरण जिनके संबंध में यथेष्ट संख्या में प्रश्नों के उत्तर दिए गए**

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	विषय	<u>गृहीत प्रश्नों की संख्या</u>		पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या	
			तारांकित	अतारांकित		
1	2	3	4	5	6	
6	1.	कृषि एवं किसान कल्याण	कृषि उत्पादन	1	14	-
			किसानों द्वारा आत्महत्या	3	13	-
			किसानों के लिए समर्थन मूल्य	1	19	-
	2.	नागर विमानन	एयर इंडिया का कार्यकरण/निष्पादन आदि	2	22	-
			विमान पत्तनों का विकास और आधुनिकीकरण	3	17	-
			निर्यात/आयात	1	14	-
	3.	वाणिज्य एवं उद्योग	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	-	16	-
	4.	पेयजल और स्वच्छता	पेयजल संबंधी मुद्दे	4	13	5
	5.	इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी	साइबर अपराध/सुरक्षा	2	14	1
	6.	वित्त	विमुद्रीकरण	3	12	-
			बैंकों से ऋण	4	26	-
			माल और सेवा कर	5	25	-



7.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	एम्स, एम्स जैसे संस्थान, चिकित्सा महाविद्यालय आदि और उनके कार्यकरण	3	12	-
----	-----------------------------	--	---	----	---

1	2	3	4	5	6
8.	गृह	बच्चों और महिलाओं के विरुद्ध अपराध	-	15	-
		जम्मू और कश्मीर	-	17	-
		नक्सली/माओवादी	-	18	-
9.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन	प्रधानमंत्री आवास योजना	2	20	5
10.	मानव संसाधन विकास	केन्द्रीय विद्यालय/जवाहर नवोदय विद्यालय	2	17	5
11.	श्रम और रोजगार	भविष्य निधि	2	13	5
12.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	एलपीजी आपूर्ति/कनेक्शन	1	14	-
		ईंधन मूल्य	1	18	-
13.	रेल	रेल परियोजनाएं	2	16	-
		रेल दुर्घटनाएं और सुरक्षा उपाय	2	21	-
		टिकट/किराया	2	16	2
14.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	राष्ट्रीय राजमार्ग/एनएचएआई	1	14	-
15.	ग्रामीण विकास	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	7	24	10
		प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	1	14	-
16.	कौशल विकास और उद्यमिता	कौशल प्रशिक्षण	-	18	-

17.	पर्यटन	पर्यटन को प्रोत्साहन/विकास	2	14	-
18.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण	गंगा नदी	1	14	3

---

## विवरण-VI

### तारांकित प्रश्नों के उत्तर में राज्य सभा के पटल पर रखे गए विवरण

तारांकित प्रश्नों के उत्तर में जिन 274 विवरणों को राज्य सभा के पटल पर रखा गया था, उनकी प्रतियां (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में) राज्य सभा के सूचना कार्यालय और लॉबी को भेज दी गई थीं ताकि उन्हें 16 जुलाई, 1952 को सभा में सभापति द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में प्रश्नों का समय आरंभ होने से आधे घंटे पूर्व सदस्यों में वितरित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक विवरण की एक-एक प्रति संबंधित सदस्यों की सीटों पर भी रख दी गई थी। इन विवरणों की अतिरिक्त प्रतियां अन्य सदस्यों के प्रयोग के लिए लॉबी में काउन्टर पर रख दी गई थीं।

## विवरण-VII

### अल्प-सूचना प्रश्नों के निपटान को दर्शाने वाला सार

डायरी संख्या	विषय	सदस्य का नाम	मंत्रालय/ विभाग	निपटान	पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या
1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देश	श्री अजय संचेती	मानव संसाधन विकास	अस्वीकृत	-
2.	एनयूईपीए एम.फिल पी.एच.डी. में प्रवेश के लिए परीक्षा	द्वारा श्री अजय संचेती और प्रवेश के	मानव संसाधन विकास	व्यपगत	-

स्वीकृत: शून्य अस्वीकृत: 1 व्यपगत: 1

## विवरण-VIII

प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न लोक महत्व के विषयों पर **आधे घंटे की चर्चा** आरंभ करने के लिए प्राप्त हुई सूचनाओं के निपटारे को दर्शाने वाला विवरण

डायरी संख्या	विषय	सदस्य का नाम	मंत्रालय/ विभाग	निपटान	चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या
1.	नदी विकास हेतु निधियां	श्री नरेश अग्रवाल	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण	व्यपगत	-
2.	खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों की घटती संख्या	श्री जावेद अली खान	विदेश	स्वीकृत	-
3.	पोलावरम सिंचाई परियोजना की संशोधित लागत	डा. के.वी.पी. रामचन्द्र राव	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण	अस्वीकृत	-
4.	भारत की सामुद्रिक सीमाओं पर चीन की मौजूदगी	डा. टी. सुब्बाराजी रेड्डी	विदेश	व्यपगत	-
5.	शिक्षा प्रणाली की खराब स्थिति	श्री रेवती रमन सिंह	मानव संसाधन विकास	लौटाया गया	-

स्वीकृत:1 अस्वीकृत:1 व्यपगत:2 लौटाया गया:1

## विवरण-IX

राज्य सभा में मंत्रियों द्वारा पहले दिए जा चुके प्रश्नोत्तरों के संशोधनार्थ उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों/सभा पटल पर रखे गए विवरणों का सार

क्रम संख्या	दिनांक	जिनके द्वारा वक्तव्य दिया गया/विवरण रखा गया	प्रश्न संख्या जिसके संबंध में वक्तव्य दिया गया/विवरण रखा गया	प्रश्न के उत्तर की तारीख	प्रश्न का विषय
1.	20.7.2017	डा. जितेन्द्र सिंह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री	अतारांकित प्रश्न 2397	23.3.2017	परमाणु खनिज भंडारों का प्राक्कलन
2.	8.8.2017	श्रीमती अनुप्रिया पटेल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	अतारांकित प्रश्न 1085	25.7.2017	वायरल बुखार फैलने से रोकने के उपाय
3.	9.8.2017	श्रीमती निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	अतारांकित प्रश्न सं. 3044	14.12.2016	मांस का निर्यात
4.	11.8.2017	श्री अरुण जेटली, वित्त मंत्री, कॉरपोरेट कार्य मंत्री और रक्षा मंत्री	अतारांकित प्रश्न सं. 17	18.7.2017	माल और सेवा कर के बारे में वस्त्र व्यापारियों/वितरकों की चिंताएं
5.	11.8.2017	श्री राजेन गोहेन, रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	अतारांकित प्रश्न सं. 781	21.7.2017	रेलवे बोर्ड के परिपत्र के विरोध में अभ्यावेदन

## विवरण-X

### राज्य सभा में पूछे गए प्रश्नों और उनके दिए गए उत्तरों के संबंध में कुछ रोचक तथ्य

1.	उन बैठकों की संख्या जिनमें आरंभ में प्रश्नों का समय रखा गया था	19
2.	उन बैठकों की संख्या जिनमें प्रश्नों का समय नहीं था	4 (25.7.2017, 9.8.2017, 10.8.2017 तथा 11.8.2017 को)
3.	उन बैठकों की संख्या जिन्हें बिना कोई कार्य संपन्न किए स्थगित कर दिया गया	1 (17.7.2017 को)
4.	उन बैठकों की संख्या जिनके दौरान प्रश्नों का समय तो रखा गया था परन्तु सभा में किसी भी प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से नहीं दिया गया	3 (18.7.2017, 28.7.2017 तथा 1.8.2017 को)
5.	निरस्त बैठकों की संख्या	शून्य
6.	प्रश्नों का समय रखे बिना बढ़ाई गई बैठकों की संख्या (विशेष बैठक)	शून्य
7.	हिन्दी में प्राप्त हुए प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) की संख्या	1393
8.	उन सदस्यों की संख्या जिनसे सूचनाएं प्राप्त हुईं	138
9.	तारांकित प्रश्नों के बैलेट में सर्वाधिक बार आने वाले किसी सदस्य का नाम	10 (डा. सत्यनारायण जटिया, श्री माजीद मेमन और श्री धर्मपुरी श्रीनिवास का नाम)
10.	उन तारांकित प्रश्नों की संख्या जिनके मौखिक उत्तर दिये गये	46
11.	उन तारांकित प्रश्नों की संख्या जिन पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये	45
12.	पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की संख्या	187
13.	उन प्रश्नों की संख्या जिनके लिखित उत्तर राज्य सभा के पटल पर रखे गये	3279
14.	किसी एक सदस्य से प्राप्त हुई सर्वाधिक सूचनाएं	188 (श्री वि. विजयसाई रेड्डी से)
15.	किसी एक सदस्य के नाम गृहीत और दर्ज तारांकित और अंतारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या	44 (श्री रीताब्रता बनर्जी के नाम)
16.	किसी एक सदस्य के नाम गृहीत और दर्ज तारांकित और अंतारांकित प्रश्नों की न्यूनतम संख्या	1 (श्री अहमद हसन, श्री ला. गणेशन, मीर मोहम्मद फ़ैयाज और श्री जॉय अब्राहम के नाम)
17.	किसी एक सदस्य द्वारा उपस्थित किए गए अनुपूरक प्रश्नों की अधिकतम संख्या	8 (श्री वि. विजयसाई रेड्डी)
18.	किसी एक सदस्य द्वारा किसी एक दिन पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की अधिकतम संख्या	3 (श्रीमती छाया वर्मा द्वारा 20.7.2017 को और श्री नरेश अग्रवाल द्वारा 4.08.2017 को)

19.	जिस दिन तारांकित प्रश्न सूची में 15 से कम प्रश्न थे	शून्य
20.	एक दिन की सूची में रखे गए अतारांकित प्रश्नों की न्यूनतम संख्या	शून्य
21.	उन प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या जिन पर किसी एक दिन में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए	7 (27.7.2017 को)
22.	उन प्रश्नों की न्यूनतम संख्या जिन पर किसी एक दिन में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए	1 (8.8.2017 को)
23.	सत्र आरंभ होने के बारे में संसदीय समाचार जारी होने के पश्चात् किसी एक दिन में प्राप्त हुई सूचनाओं की अधिकतम संख्या	853 (30.06.2017 को)
24.	किसी एक विषय पर जिन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिये गये उनकी सर्वाधिक संख्या	2 (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संबंध में)
25.	किसी एक प्रश्न पर पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की अधिकतम संख्या	5
26.	सदस्यों द्वारा किसी एक मंत्री के नाम संबोधित प्रश्नों की सूचनाओं की सर्वाधिक संख्या	591 (वित्त मंत्री को)
27.	किसी एक मंत्री के नाम संबोधित गृहीत प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या	228 (वित्त मंत्री को)
28.	किसी एक मंत्री द्वारा मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या	5 (सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा)
29.	किसी एक मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए अनुपूरक प्रश्नों की सर्वाधिक संख्या	20 (विदेश मंत्री द्वारा)
30.	उन प्रश्नों की संख्या जिनका उत्तर प्रभारी मंत्री की जगह अन्य मंत्री ने दिया	शून्य
31.	प्रत्येक बैठक के लिए प्राप्त प्रश्नों की औसत संख्या	444
32.	प्रत्येक बैठक में मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों की औसत संख्या	2.42
33.	प्रत्येक बैठक में मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों की औसत संख्या (केवल उन बैठकों के लिए जब प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए गए थे)	4.18
34.	प्रत्येक बैठक में पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों की औसत संख्या	9.84



35.	जिन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए ऐसे प्रत्येक प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्नों की औसत संख्या	4.06
36.	मौखिक रूप से उत्तर दिए गए प्रत्येक प्रश्न पर लिया गया औसत समय	10.7 मिनट
37.	प्रश्नों के समय से आधे घण्टे पूर्व राज्य सभा के सूचना कार्यालय और लॉबी को भेजे गए प्रश्नों के उत्तरों से संबंधित विवरणों की कुल संख्या	274
38.	किसी एक दिन में प्रश्नों के संदर्भ में राज्य सभा के सूचना कार्यालय को भेजे गए विवरणों की सर्वाधिक संख्या	15
39.	सूचना कार्यालय और लॉबी को भेजे गए प्रश्न के संदर्भ में राज्य सभा के पटल पर रखा गया सबसे बड़ा विवरण	15 पृष्ठ (3.8.2017 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 200 के लिए)*
40.	राज्य सभा में प्रश्नों के उत्तरों के संशोधनार्थ सभा में मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों/रखे गए विवरणों की कुल संख्या	5

**\* तारांकित प्रश्न संख्या 161 दिनांक 31.07.2017 के उत्तर में 235 पृष्ठ थे जिसमें उपाबंध के 233 पृष्ठ शामिल थे। तथापि, प्रश्न का उत्तर विवरण के रूप में नहीं था।**



## विवरण - XI

### राज्य सभा में प्रश्नों के समय को सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई टिप्पणियाँ/दिए गए निदेशों/विनिर्णयों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	सभापति/ उपसभापति द्वारा की गई टिप्पणियाँ/दिए गए निदेश/विनिर्णय	तारीख	की गई टिप्पणियाँ/दिए गए निदेश/विनिर्णय
1.	सभापति	31.07.2017	" माननीय सदस्यगण, प्रश्न लेने से पूर्व मुझे एक बात कहनी है। एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर इतना विस्तृत है कि अपने आप में एक रिकार्ड है; उत्तर 233 पृष्ठों में है <sup>xxxx</sup> । अब इस बात पर विचार करते हुए कि माननीय सदस्यों के 11 बजे यहाँ समवेत होने से कुछ समय पूर्व उन्हें प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए जाते हैं, मानवीय रूप से 233 पृष्ठों की संवीक्षा करना असंभव है। निश्चित रूप से, हमें कोई अन्य व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेरा आशय यह है कि माननीय मंत्री द्वारा दी गई सूचना अत्यंत लाभदायक है परन्तु इसे पुस्तिका अथवा किसी <sup>xxxx</sup> रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है।"